उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिविजन वाद सं0– 01/2016–17

बुदई मरांडी एवं अन्य ....आवेदक

बनाम

पुतुल टुडू .... विपक्षी

।। आदेश ।।

27/07/2016 यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 01/16–17 बुदई मरांडी एवं अन्य बनाम् पुतुल टुडू पति निबूलाल सोरेन सा0 कुशबोना, अंचल रामगढ़ के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस0आर0 वाद सं0 67/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 25.08.2014 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता बहस के दौरान उपस्थित नहीं थे। फलतः उनके ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा कुशबोना के दाग सं0 312 गत सर्वे खतियान में परती कदीम बोलकर दर्ज है। यह जमींन मौजा के अंतिम छोर (End of the Village) पर स्थित है। उक्त जमींन से होकर गाँव का निकासी का रास्ता है तथा मौजा के रैयत वहाँ खलिहान आदि के रूप में भी उपयोग करते है। प्रश्नगत जमींन विपक्षी के साथ बन्दोबस्ती नहीं होना चाहिए। विपक्षी जिन्हें जमींन की बन्दोबस्ती मिली है, उनके पास पहले से भी काफी जमींन है। उन्होंने चुपके से बन्दोबस्ती करा ली है। इसमें 16/– रैयतों को विधिवत नोटिस नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं कर्मचारी द्वारा भी टेबुल रिपोर्ट समर्पित किया गया है। उनके द्वारा स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत नहीं है। अतः इसे विलोपित करते हुए आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 16/– रैयतों पर निर्गत नोटिस का तामिला ढोल–सोहरत के साथ विधिवत नहीं किया गया है जो एस.पी.टी. रूल्स 1950 के रूल 9(2) के अनुकूल नहीं है। अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में प्रस्तावित अनुरेख नक्शा में प्रश्नगत जमींन को दो सड़कों के बीच सटा हुआ दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह जमींन ग्रामीणों के लिये निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण होगा। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में विपक्षी पुतुल टुडू की अपनी जमाबन्दी सं0 [illegible] [illegible]

पत्नी है। निबूलाल सोरेन (विपक्षी के पति) द्वारा स्वयं उक्त जमींन की बन्दोबस्ती आवेदन दाखिल न कर अपनी पत्नी के द्वारा आवेदन दाखिल करवाया गया है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि :–

1. प्रश्नगत जमींन मौजा के अंतिम छोर में दो सड़कों के बीच में अवस्थित है जो मौजा के ग्रामिणों के लिये काफी महत्वपूर्ण है तथा 16/– रैयतों को इस बन्दोबस्ती पर आपत्ति है। साथ ही रैयतों द्वारा उक्त जमींन को सार्वजनिक उपयोग में लाया जाता है।
2. बन्दोबस्ती के पूर्व 16/– रैयतों को ढोल–सोहरत के साथ विधिवत नोटिस का तामिला नहीं किया गया है जो सं0प0 काश्तकारी रूल्स 1950 के रूल 9(2) के अनुकूल नहीं है।

ऐसी स्थिति में विपक्षी के साथ निम्न न्यायालय द्वारा पारित किया गया जमींन बन्दोबस्ती आदेश सही प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है तथा जमींन को ग्रामीणों के सार्वजनिक उपयोग हेतु यथावत रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।